

जैव प्रौद्योगिकी उद्योग अनुसंधान सहायता परिषद
(बाइरैक)

की

कारपोरेट सामाजिक दायित्व नीति
(सीएसआर नीति)



जैव प्रौद्योगिकी उद्योग अनुसंधान सहायता परिषद (बाइरैक)
(भारत सरकार का उपक्रम)

बाइरैक की सीएसआर नीति

1. बाइरैक के विषय में

जैव प्रौद्योगिकी उद्योग अनुसंधान सहायता परिषद (बाइरैक), भारत सरकार के बायोटेक्नोलॉजी विभाग (डीबीटी) की धारा 8, अनुसूची ख द्वारा स्थापित सार्वजनिक क्षेत्र का गैर-लाभकारी उद्यम है।

1.1 अवलोकन (Vision)

“भारतीय जैव प्रौद्योगिकी उद्योग, विशेष रूप से स्टार्टअप और एसएमई की रणनीतिक अनुसंधान और इनोवेशन क्षमताओं को प्रोत्साहन, समर्थन और उन्नति की ओर बढ़ाना, ताकि समाज की अधिकांश आवश्यकताएँ पूरी करने वाले किफ़ायती उत्पाद तैयार किए जा सकें।”

1.2 ध्येय (Mission)

उद्योग द्वारा जैव प्रौद्योगिकी उत्पादों और सेवाओं में नवीन विचारों के निर्माण और हस्तांतरण की सुविधा और परामर्श देना। साथ ही, शिक्षा और उद्योग के बीच सहयोग और अंतरराष्ट्रीय संबंध बनाने के साथ-साथ तकनीकी उद्यमिता को बढ़ावा देना। इसके अलावा, व्यवहार्य जैविक व्यवसायों के निर्माण और स्थिरता को योग्य बनाना।

1.3 उद्देश्य (Focus)

किफ़ायती उत्पाद बनने हेतु बायोटेक इनोवेशन इकोसिस्टम को मजबूत और सक्षम बनाना

1.4 मूल मंत्र (Core Values)

- सत्यनिष्ठा
- पारदर्शिता
- आपसी सहयोग
- उत्कृष्टता
- प्रतिबद्धता

बाइरैक का अवलोकन है कि “भारतीय जैव प्रौद्योगिकी उद्योग, विशेष रूप से स्टार्टअप और एसएमई की रणनीतिक अनुसंधान और इनोवेशन क्षमताओं को प्रोत्साहन, समर्थन और उन्नति की ओर बढ़ाना, ताकि समाज की अधिकांश आवश्यकताएँ पूरी करने वाले किफ़ायती उत्पाद तैयार किए जा सकें।” इसलिए, बाइरैक का सिद्धांत “नवोन्मेषी सार्वजनिक और निजी क्षेत्र के अनुसंधान को व्यवहार्य और प्रतिस्पर्धी उत्पादों तथा व्यवसायों में बदलने हेतु बायोटेक स्टार्टअपों को शुभारंभ, रूपांतरित और प्रवृत्त करने” के अपने ध्येय में निहित है।

साल 2012 में अपनी स्थापना के बाद से ही, बाइरैक ने देश में बायोटेक इनोवेशन इकोसिस्टम की नींव रखने हेतु “सस्ते उत्पाद जो कि समाज की अधिकांश आवश्यकताओं को पूरा करते हैं” बनाने

के लिए शासनादेश के अनुसार काम किया है। बाइरैक की नींव इस आधार पर रखी गई है कि भारत को विकसित तथा सूचना आधारित अर्थव्यवस्था बनाने की दिशा में, जैव प्रौद्योगिकी अहम भूमिका निभाए।

बाइरैक का उद्देश्य अपने शासनपत्र में निर्धारित विभिन्न क्रियावलयों के ज़रिए अपने अवलोकन और ध्येय को प्राप्त करना है, जिसके लिए स्टार्ट-अप, एसएमई के साथ-साथ अनुसंधान संस्थानों और शिक्षा के क्षेत्र में जैव-नवाचार लाने हेतु बड़ी संख्या में समन्वित भागीदारी वाली रणनीति की आवश्यकता है।

1.5 बाइरैक के मुख्य उद्देश्यों में शामिल हैं:

1. अनुसंधान और उद्यम निर्माण में मध्यम और उच्च स्तर के इनोवेशन को बढ़ावा देना, उन्हें विकसित और समर्थन करना।
2. विशेष रूप से किसी नवोन्मेष अनुसंधान, उत्पाद विकास, उत्पाद सत्यापन और व्यावसायीकरण के शुरुआती चरणों में, अत्यधिक जोखिम और नवीन परियोजनाओं को स्वयं या कई भागीदारों के परामर्श तथा फंडिंग के ज़रिए इनोवेशन को विकसित करना।
3. सामाजिक प्रासंगिकता वाले नए शोध हेतु उद्योग तथा शैक्षणिक समुदायों को प्रोत्साहित करना।
4. हेल्थकेयर, कृषि (दीर्घोपयोगी कृषि सहित), पर्यावरण, जैव-ऊर्जा, और विनिर्माण में शामिल अन्य औद्योगिक उत्पादों और प्रक्रियाओं में किफायती, नवीन, परिणियोजित उत्पादों और प्रौद्योगिकी विकसित करने की संकल्पना और समर्थन करना।
5. विशेष रूप से छोटे और मध्यम उद्यमों के उद्योग को बुनियादी आवश्यकता आधारित अनुसंधान और इनोवेशन सेवाएं प्रदान करना।
6. नवोन्मेषी सार्वजनिक और निजी क्षेत्र के अनुसंधान को व्यवहार्य और प्रतिस्पर्धी उत्पादों तथा व्यवसायों में बदलने हेतु बायोटेक स्टार्टअपों को शुभारंभ, रूपांतरित और प्रवृत्त करना।
7. इनोवेशन को बढ़ावा देने हेतु मुख्य स्रोत के रूप में कार्य करना। साथ ही, सार्वजनिक निजी भागीदारी के अंतर्गत प्रारंभिक तथा विलंबित चरण में फंडिंग के ज़रिए इनोवेटिव उत्पाद/प्रक्रिया विकसित करने हेतु इक्विटी कंपनियों के साथ संयुक्त रूप से या निजी उद्योग, इक्विटी कंपनियों के साथ स्वयं और / या दूसरों के साथ साझेदारी हेतु फंडिंग/निवेश प्रदान करना।
8. बायोटेक क्षेत्र में सभी हितधारकों को वित्तीय, ढांचागत, संस्थागत, परामर्श और अन्य नीतिगत सहायता प्रदान करना।
9. विशेष रूप से उत्पाद मूल्यांकन हेतु परियोजना प्रबंधन और अन्य इनोवेशन सहायता सेवाएं प्रदान करना।
10. रणनीतिक गठबंधन बनाना, राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर बायोटेक उद्यमियों के बीच सूचना आधारित नेटवर्किंग को प्रोत्साहित करना। साथ ही, किफायती उत्पाद तथा सेवाएं प्रदान करके, विश्व स्तर पर बायोटेक इनोवेशन के क्षेत्र भारत की प्रतिस्पर्धात्मकता को बढ़ाना।
11. कंपनी के किसी भी उद्देश्य को संबंधित प्राधिकारी द्वारा बिना पूर्वानुमोदन और एनओसी के, यदि आवश्यक हो या निर्धारित किया गया हो, पूरा नहीं किया जाना।
12. कंपनी के किसी भी उद्देश्य को व्यावसायिक आधार पर पूरा नहीं किया जाना।

**(संस्था के ज्ञापनानुसार)*

2. कंपनी अधिनियम, 2013 एवं डीपीई दिशा-निर्देशानुसार परिप्रेक्ष्य

- 2.1** कारपोरेट कार्य मंत्रालय ने दिनांक 27 फरवरी, 2014 की अधिसूचना द्वारा कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 135 (अर्थात् कारपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व का प्रावधान) और कंपनी (कारपोरेट सामाजिक दायित्व नीति) नियम, 2014 के अंतर्गत दिनांक 01.04.2014 से सीएसआर की प्रवर्तनीयता को अधिसूचित किया है। साथ ही, लोक उद्यम विभाग (डीपीई) द्वारा दिनांक 01.04.2014 से अनुपालन किए जाने हेतु कारपोरेट सामाजिक दायित्व और केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों (सीपीएसई) हेतु स्थिरता पर दिशा-निर्देश जारी किए हैं।
- 2.2** यह नीति कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 135 के अंतर्गत जारी अधिसूचना और कारपोरेट कार्य मंत्रालय (एमसीए) द्वारा जारी कंपनी (कारपोरेट सामाजिक दायित्व नीति) नियम, 2014 (नियमों) तथा यथासंशोधित डीपीई दिशा-निर्देशानुसार बनाई गई है।
- 2.3** इस नीति में अन्तर्निहित नहीं किए गए किसी भी बिंदु की व्याख्या, कंपनी अधिनियम, 2013 के साथ पठित कंपनी (कारपोरेट सामाजिक दायित्व नीति) नियम, 2014 और डीपीई दिशा-निर्देशानुसार की जाएगी। इसमें, किसी भी प्रतिकूल मामले में पूर्व में अन्तर्निहित बातों को प्राथमिकता दी जाएगी।
- 2.4** कारपोरेट सामाजिक दायित्व (अब इसे "सीएसआर" पढ़ा जाएगा) हर उस कंपनी पर लागू होता है, जो तत्काल पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष के दौरान कम से कम निम्नलिखित सीमा को पूरा करती है:
- (क) या तो 500 करोड़ रुपए (पांच सौ करोड़ रुपए) या इससे अधिक की निवल संपत्ति; या
- (ख) या तो 1,000 करोड़ रुपए (एक हजार करोड़ रुपए) या इससे अधिक का कारोबार; या
- (ग) या तो 5 करोड़ (पांच करोड़) या इससे अधिक का शुद्ध लाभ

"शुद्ध लाभ" में वह राशि शामिल नहीं होगी, जो निर्धारित की जा सकती है। साथ ही, इसकी गणना कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 198 के प्रावधानों के अनुसार की जाएगी।

बाइरैक पर सीएसआर प्रयोज्यता होने का वर्ष: वित्तीय वर्ष 2019-20 (शुभारंभ वर्ष) तथा वित्तीय वर्ष 2020-21 (कार्यान्वयन वर्ष)

बाइरैक पर सीएसआर प्रयोज्यता होने का प्रयोजन: लेखापरीक्षित वित्तीय विवरणों के अनुसार, बाइरैक को वित्तीय वर्ष 2019-20 के दौरान 7.95 करोड़ रुपए का अधिशेष प्राप्त हुआ। चूंकि, अधिशेष/लाभ 5 करोड़ रुपए से अधिक है, इसलिए बाइरैक को सीएसआर के प्रावधानों का अनुपालन करने की आवश्यकता है। अतः धारा 135 (सीएसआर) उन सभी कंपनियों पर लागू होती है, जिनमें धारा 8 (गैर-लाभकारी) कंपनियां शामिल हैं, जो निम्नलिखित कंपनियों में से एक की सीमा को पार करती हैं:

जैसा कि बाइरैक ने खंड (ग) में वर्णित सीमा को पार कर लिया है, इसलिए बाइरैक को वित्तीय वर्ष 2020-21 से सीएसआर के प्रावधानों का अनुपालन करना होगा।

3. सीएसआर नीति हेतु अवलोकन एवं ध्येय वचन

3.1 अवलोकन का वचन: अपनी सीएसआर पहलों के ज़रिए बाइरैक समाज और समुदाय में, मूल्य निर्माण में वृद्धि करना जारी रखेगा। इसमें बाइरैक अपनी सेवाओं, व्यवहार और पहलों से समाज और समुदाय के लिए सामाजिक तौर पर उत्तरदायी सीपीएसई के रूप में, अपनी भूमिका को पूरा करने हेतु सतत विकास को बढ़ावा देता है।

3.2 ध्येय का वचन: कंपनी अधिनियम, 2013 और डीपीई दिशा-निर्देशों के अनुरूप, इस नीति का ध्येय सामाजिक प्रभाव पैदा करने की दिशा में कार्यान्वयन और निगरानी हेतु अंतर्निहित तंत्र के साथ दूरगामी, मध्यम और छोटी अवधि में कंपनी विशिष्ट सामाजिक उत्तरदायी रणनीतियों को विकसित करना है।

4. संक्षिप्त शीर्षक और प्रयोज्यता

इस नीति को "बाइरैक कारपोरेट सामाजिक दायित्व और स्थिरता नीति" कहा जाएगा। यह अपनाए गए संबंधित संकल्प के संदर्भ में, बाइरैक के बोर्ड के अनुमोदन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

5. सीएसआर शासन-विधि संरचना

5.1 निदेशक मंडल ("बोर्ड") द्वारा अनुमोदित सीएसआर नीति प्रासंगिक प्रयोज्यता वर्षों पर लागू होगी।

5.2 बोर्ड द्वारा कंपनी (कारपोरेट सामाजिक दायित्व नीति) नियम, 2014 के साथ पठित कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 135 में निर्धारित सीएसआर समिति के कार्यों का निर्वहन किया जाएगा।*

*** कंपनी (संशोधन) अधिनियम, 2020 के अनुसार (22 जनवरी, 2021 से लागू):** यदि कंपनी द्वारा व्यय की जाने वाली राशि पचास लाख रुपये से अधिक नहीं है, तो सीएसआर समिति के गठन की आवश्यकता लागू नहीं होगी। साथ ही, धारा 135 के अंतर्गत निर्धारित इस समिति के कार्यों को कंपनी के निदेशक मंडल द्वारा निष्पादित किया जाएगा।

5.3 निदेशक मंडल के पास सीएसआर नीति की समीक्षा, किए जाने वाले व्यय को अनुमोदित, यथासंभव सीएसआर नीति की निगरानी करने का अधिकार होगा। साथ ही, बोर्ड के पास बाइरैक में सीएसआर नीतियों और सभी संबंधित गतिविधियों के कार्यान्वयन और निगरानी का दायित्व होगा।

5.4 नीति को आगे कार्यान्वित करने हेतु बोर्ड द्वारा प्रबंध निदेशक को संबंधित कार्यक्रम प्रभाग (प्रोग्राम डिविजन) के परामर्श से प्राधिकृत किया जा सकता है।

5.5 परिणियोजन रिपोर्ट, उनके विचारार्थ बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत की जा सकती है।

6. सीएसआर गतिविधियां

6.1 अन्तर्निहित की जाने वाली गतिविधियां तथा कार्यान्वित की जाने वाली परियोजनाएं, कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची VII में यथासंशोधित गतिविधियां होंगी। अनुलग्नक-1 में अनुसूची VII संलग्न है।

6.2 बोर्ड द्वारा सीएसआर नीति के अनुसरण में वार्षिक-कार्यक्रम योजना तैयार करने का निर्देश दिया जाएगा। इसमें, निम्नलिखित बातें शामिल होंगी, अर्थात्: -

क. सीएसआर परियोजनाएं या कार्यक्रमों की सूची, जिन्हें अधिनियम की अनुसूची VII में निर्दिष्ट क्षेत्रों या विषयों में शुरू करने हेतु अनुमोदित किया गया है;

ख. ऐसी परियोजनाओं या कार्यक्रमों के निष्पादन का तरीका;

ग. परियोजनाओं या कार्यक्रमों हेतु फंडिंग के उपयोग की विधि और कार्यान्वयन कार्यक्रम;

घ. परियोजनाओं या कार्यक्रमों हेतु निगरानी और प्रेषण क्रियावली; तथा

ङ. कंपनी द्वारा शुरू की गई परियोजनाओं हेतु आवश्यकता और प्रभाव मूल्यांकन का विवरण, यदि आवश्यक हो।

7. बजट/व्यय

7.1 कंपनी अधिनियम, 2013 की प्रासंगिक धाराओं के अनुसार सीएसआर गतिविधियों का बजट तैयार किया जाएगा, जैसा कि यथासंशोधित किया जाता है। इस संदर्भ में, कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 198 के साथ पठित धारा 135 में प्रावधान है कि कोई कंपनी चालू वर्ष में अपनी सीएसआर गतिविधियों के लिए तत्काल पूर्ववर्ती तीन वित्तीय वर्षों के दौरान कंपनी के **औसत शुद्ध लाभ** का कम से कम दो प्रतिशत (2%) व्यय करेगी।

7.2 सीएसआर क्षमता निर्धारण और सीएसआर परियोजना/गतिविधियों आदि की निगरानी/मूल्यांकन पर होने वाला व्यय, सीएसआर बजट से पूरा किया जाएगा, जैसा कि यथासंभव जारी सीएसआर हेतु सरकारी कानूनों/नियमों/दिशा-निर्देशों में निर्गमित है।

8. सीएसआर का कार्यान्वयन

सभी सीएसआर कार्यक्रम/गतिविधियां बाइरैक द्वारा निष्पादित की जाएँगी:

क. बोर्ड द्वारा सीधे अपनी प्रत्यायोजित शक्तियों का उपयोग करके, निम्नलिखित कार्य किए जा सकते हैं: -

- i. परियोजनाओं की पहचान करने हेतु संबंधित कार्यक्रम प्रभाग (प्रोग्राम डिविजन) और बाइरैक के सक्षम प्राधिकारी को प्रस्ताव प्रस्तुत करना।
- ii. इसके अलावा परिसंचरण द्वारा या बोर्ड की बैठक में, बोर्ड का अनुमोदन प्राप्त किया जाना।
- iii. संबंधित कार्यक्रम प्रभाग (प्रोग्राम डिविजन) अनुमोदित समय-सीमा और वार्षिक आवंटन के संदर्भ में, विभिन्न परियोजनाओं की प्रगति, कार्यान्वयन की नियमित रूप से निगरानी करेगा। साथ ही, यदि कोई संशोधन किया जाना हो, तो कुल स्वीकृत समय में परियोजना के सुचारू कार्यान्वयन हेतु संशोधन करेगा। इसके अलावा, किसी भी तरीके से पहल का नियमित रूप से नेतृत्व करेगा और बोर्ड के विचारार्थ सक्षम प्राधिकारी को अर्ध-वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा। रिपोर्ट प्रस्तुत करने हेतु निर्धारित फॉर्मेट अनुलग्नक-11 में संलग्न है।

अथवा

ख. कंपनी (कारपोरेट सामाजिक दायित्व नीति) नियम, 2014 में यथासंशोधित संस्थाओं के द्वारा:

- i. अधिनियम की धारा 8 के अंतर्गत स्थापित कोई कंपनी या पंजीकृत ट्रस्ट या केंद्र सरकार या राज्य सरकार द्वारा स्थापित कोई पंजीकृत सोसायटी; या
- ii. संसद या राज्य विधायिका के अधिनियम के अंतर्गत स्थापित कोई भी संस्था; या
- iii. अधिनियम की धारा 8 के अंतर्गत स्थापित कोई कंपनी या पंजीकृत सार्वजनिक ट्रस्ट या पंजीकृत सोसायटी, जो आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 12-क तथा 80-छ, के अंतर्गत पंजीकृत है। साथ ही, समान गतिविधियों के संचालन में कम से कम तीन वर्षों के उत्कृष्ट ट्रेक रिकॉर्ड वाली कंपनी।

9. वार्षिक रिपोर्ट में सीएसआर प्रेषण

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 135 के प्रावधानों और उसके अंतर्गत बनाए गए नियमानुसार, कंपनी द्वारा सीएसआर पहलों का विवरण निदेशकों की रिपोर्ट और कंपनी की वेबसाइट में निर्धारित प्रारूप में प्रस्तुत किया जाएगा।

10. सामान्य जानकारी

सीएसआर नीति के किसी प्रावधान और यहां सूचीबद्ध नहीं किए गए मामलों के संबंध में, किसी भी संशय की स्थिति में, बोर्ड द्वारा की गई व्याख्या और निर्णय अंतिम होगा।

इस नीति को यथासंभव, यदि कोई संशोधन होगा, तो उसे बाइरैक द्वारा कंपनी अधिनियम, 2013 के अंतर्गत बनाए गए नियमों या किसी अन्य लागू अधिनियम में संशोधन करके, अपडेट किया जाएगा।

अनुलग्नक-1

कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची-VII (यथासंशोधित) में निर्धारित अधिसूचित गतिविधियों के अनुसार, बाइरैक अपनी सीएसआर गतिविधि के तौर पर निम्नलिखित गतिविधियां कर सकता है, जो निम्नानुसार पुनः प्रस्तुत हैं:

- (i) इसमें भूख, गरीबी और कुपोषण का उन्मूलन करना तथा निवारक स्वास्थ्य देखभाल और स्वच्छता सहित स्वास्थ्य देखभाल को बढ़ावा देना है। तथा स्वच्छता को बढ़ावा देने के साथ-साथ सुरक्षित पेयजल उपलब्ध कराने हेतु केंद्र सरकार द्वारा स्थापित स्वच्छ भारत कोष में योगदान करना शामिल है;
- (ii) इसमें विशेष शिक्षा और रोजगार बढ़ाने सहित शिक्षा को बढ़ावा देना, विशेष रूप से बच्चों, महिलाओं, बुजुर्गों और दिवयांगों और आजीविका वृद्धि परियोजनाओं के बीच व्यावसायिक कौशल बढ़ाना शामिल है;
- (iii) इसमें लैंगिक समानता को बढ़ावा, महिलाओं को सशक्त बनाने के साथ-साथ महिलाओं और अनारथों के लिए घरों और छात्रावास बनाना। साथ ही, वरिष्ठ नागरिकों के लिए वृद्धाश्रम, डे केयर सेंटर और ऐसी अन्य सुविधाएं स्थापित करना। इसके अलावा, सामाजिक तथा आर्थिक रूप से पिछड़े समूहों को होने वाली असमानताओं को कम करने के उपाय निकालना शामिल है;
- (iv) इसमें गंगा नदी के कायाकल्प हेतु केंद्र सरकार द्वारा स्थापित स्वच्छ गंगा कोष में योगदान सहित पर्यावरणीय स्थिरता, पारिस्थितिक संतुलन, वनस्पतियों और जीवों की सुरक्षा, पशु कल्याण, कृषि वानिकी, प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण और मिट्टी, हवा और पानी की गुणवत्ता सुनिश्चित करना शामिल है;
- (v) इसमें इमारतों और ऐतिहासिक महत्व वाली जगहों और कला के कार्यों को प्रोत्साहन सहित राष्ट्रीय विरासत, कला और संस्कृति का संरक्षण; सार्वजनिक पुस्तकालयों की स्थापना; पारंपरिक कला और हस्तशिल्प का प्रचार और विकास करना शामिल है;
- (vi) इसमें सशस्त्र बलों के सेवानिवृत्त व्यक्तियों, शहीदों की विधवाओं और उनके आश्रितों, केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल (सीएपीएफ) और केंद्रीय अर्ध सैन्य बल (सीपीएमएफ) के पूर्व सैनिकों और विधवाओं सहित उनके आश्रितों के लाभ हेतु उपाय करना शामिल है;
- (vii) इसमें ग्रामीण खेलों, राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त खेलों, पैरालंपिक खेलों और ओलंपिक खेलों को बढ़ावा देने के लिए प्रशिक्षण देना शामिल है;

- (viii) इसमें प्रधान मंत्री राष्ट्रीय राहत कोष या प्रधान मंत्री नागरिक सहायता और आपातकालीन स्थिति में राहत कोष (पीएम केयर्स फंड) में योगदान देना तथा सामाजिक आर्थिक विकास और अनुसूचित-जाति, जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यकों और महिलाओं की सहायता और कल्याण हेतु केंद्र सरकार द्वारा स्थापित अन्य निधि में योगदान करना शामिल है;
- (ix) (क) इसमें केंद्र सरकार या राज्य सरकार या सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम या केंद्र सरकार या राज्य सरकार की किसी एजेंसी द्वारा फंडिंग करना और विज्ञान, प्रौद्योगिकी, इंजीनियरिंग और चिकित्सा के क्षेत्र में स्वव्यवसायीकरण या अनुसंधान और विकास परियोजनाओं में योगदान करना शामिल है; तथा
- (ख) इसमें सतत विकास लक्ष्यों (एसडीजी) को बढ़ावा देने के उद्देश्य से विज्ञान, प्रौद्योगिकी, इंजीनियरिंग और चिकित्सा के क्षेत्र में अनुसंधान करने वाले में सार्वजनिक फंडिंग प्राप्त विश्वविद्यालयों; भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (आईआईटी); परमाणु ऊर्जा विभाग (डीएई) के अंतर्गत स्थापित राष्ट्रीय प्रयोगशालाओं और स्वायत्त निकायों; बायोटेक्नोलॉजी विभाग (डीबीटी); विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग (डीएसटी); औषध विभाग; आयुर्वेद, योग और प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी, सिद्ध और होम्योपैथी मंत्रालय (आयुष); इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय और अन्य निकाय, अर्थात् रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन (डीआरडीओ); भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (आईसीएआर); भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद (आईसीएमआर) और वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद (सीएसआईआर) में योगदान देना शामिल है।
- (xi) इसमें ग्रामीण विकास परियोजनाएं शामिल हैं;
- (xii) इसमें झुग्गी-झोपड़ी वाले इलाकों का विकास करना शामिल है;

स्पष्टीकरण- इस मद के प्रयोजनों हेतु, 'झुग्गी-झोपड़ी वाले इलाके' शब्द का अर्थ केंद्र सरकार या किसी राज्य सरकार या किसी अन्य सक्षम प्राधिकारी द्वारा उस समय लागू किसी भी कानून के अंतर्गत घोषित किसी भी क्षेत्र से होगा।

- (xiii) इसमें राहत, पुनर्वास और पुनर्निर्माण गतिविधियों सहित आपदा प्रबंधन गतिविधियां शामिल हैं।

सीएसआर परियोजनाओं हेतु प्रगति रिपोर्ट का फॉर्मेट

अनुदानग्राही (ग्रांटी) संस्था का नाम.....

(.....अवधि का विवरण लिखें)

1. परियोजना की जानकारी

परियोजना का शीर्षक:	
बाइरैक संस्वीकृति संख्या और तारीख	
परियोजना पूरी होने की अपेक्षित अवधि (आरंभ और समाप्ति की तारीख)	
बाइरैक द्वारा फंडिंग की गई राशि	
रिपोर्ट जमा करने की तारीख	
परियोजना क्षेत्र	
परियोजना लक्ष्य-समूह	
अनुदानग्राही (ग्रांटी) एजेंसी (नाम तथा क्या बाइरैक द्वारा अनुमोदित है)	

2. परियोजना की अहम जानकारी

क. सीएसआर परियोजना के उद्देश्य का संक्षेप में वर्णन करें:

ख. परियोजना के उद्देश्यों की सूची बनाएं:

प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता का नाम एवं हस्ताक्षर